


भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



एक हजार रुपये
रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES
Rs.1000

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

A 423955

Sumer Dignou
SRI-SARDA

असिचित कृषि भूमि का विक्रय पत्र

असिचित कृषि भूमि का विक्रय पत्र रूपया 51,000/- एककवन हजार रूपयो का जिसका बाजार मूल्य रूपया 51,000/- एककवन हजार रूपया है।
XX

ग्राम बालझिरी 4040न0 ॥ ग्यारह
ग्राम पंचायत बालझिरी
क्षेत्र पंचायत, विकास हाण्ड,
तहसील एवं उप पञ्जीयक कार्यालय
पानसेमल जिला बडवानी म.प्र.
स्थित कृषि भूमि का विक्रय पत्र।
XX

स्टाम्प डि.रु. 4080=00
पंचायत डि.रु. 510=00
उपकर रूपया 204=00
अधीक स्टाम्प 6=00

योग रूपया 4800 = 00

भू अधिकार एवं श्रण प्स्तिका भाग। क्रमांक रन0 512675
म.प्र. भू.रा.स. 1959 की धारा 165 & 6 के नियम कानुन का उल्लंघन नहीं हो रहा है।



विक्रेता रमेश चन्द्र पिता बालु सा वाणी जाति वाणी उम्र 51 वर्ष
धधा कृषि व व्यापार निवासी निवाली तहसील निवाली जिला -
बडवानी मध्य प्रदेश

क्रेता रविन्द्र चौधरी पिता मोतीराम चौधरी जाति तेली उम्र 35 वर्ष
धधा कृषि व व्यापार निवासी पानसेमल तहसील पानसेमल
जिला बडवानी म.प्र.।

सही विक्रेता

सही क्रेता



762
259

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

MADHYA PRADESH

॥२१॥

A 423956

प्रतिफल का चुकता रूपया 51,000/- एकवन हजार रूपया मे विक्रेता ने ठो
ठो क्रेता से पंजीयन के पूर्व नगद प्राप्त कर लिया है। बिक्री की भूमि का
कब्जा भी गवाहों के समक्ष दे दिया है। अब लेना बंकी रहा नहीं है। मे
विक्रेता, आप क्रेता के हक्क मे यह असिंचित कृषि भूमि का विक्रय पत्र लिखा
दे ता हू ऐसा कि-

ग्राम बालझिरी पोहोना ।। ग्यारह तहसील पानसेमल स्थित भूमि -

खासरा नंबर रकबा एकड- हेक्टर लगान

92/1	00-90	0-365	1-02
93/2	02-10	0-849	4-08
2	3-00	1-214	5-10

की भूमि राजस्व पत्रों मे मेरे नाम से अंकित हे मेरे स्वामित्व हक्क कब्जे का

होकर आप क्रेता को निम्न मुजब भूमि बिक्री किया है -

खासरा नंबर र रकबा एकड- हेक्टर लगान

92/1	0-90	0-365	1-02	असिंचित भूमि सम्पूर्ण रकबा
------	------	-------	------	----------------------------

वर्तुःसीमा -

पूर्व मे- सडक हे। पश्चिम मे- विक्रेता की शेष भूमि है।

उत्तर मे- नागो गोबरया का छोट हे।

दक्षिण मे- कृष्णा पिता केशव तेली का छोट हे।

बिक्री भूमि पर कोई वृक्ष, मकान टप्पर नहीं हे। भूमि मेरी स्व अर्जित हे।

जिस पर किसी अन्य का कोई हक्क अधिकार रहा नहीं है। बिक्री की भूमि
का मे एक मात्र मालीक, स्वामी हू जिस पर किसी अन्य का कोई हक्क अधिकार
रहा नही है।

सही विक्रेता सही क्रेता -

॥३॥

Handwritten signature/initials in the bottom left corner.

Handwritten signature/initials in the bottom right corner.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



देश MADHYA PRADESH

११३११

A 423957

बिक्री को जा रही कृषि भूमि कद्वि पर अन्तरित नहीं की गई है। कद्वि पर भी रहन, बिक्री नहीं है। जमानत में नहीं है। हर तरह से पाक व साफ है।

म. प्र. कृषि बातों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 या म. प्र. म. रा. स. 1959 की धारा 165 68 के नियम कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है। विक्रय को जा रही कृषि भूमि किसी भी देव स्थान भूदान खा, शासकिय पट्टे की नहीं है।

म. प्र. म. रा. स. 1959 की धारा 109- 110 के तहत आपने नामान्तरण करवा लेना जिसमें कथन कार्य वाही की जरूरत होने पर स्वयं उपस्थित रहना ।

मेने निजी आवश्यकता के लिये भूमि बिक्री किया है। बिक्री की भूमि पर अब मेरा कोई हक्क अधिकार रहा नहीं है। आज से क्रेता को इस लेखा वदारा क्रय की सम्पत्ति पर समस्त हक्क अधिकार प्राप्त है जिसका उपयोग व उपभोग क्रेता वंश परम्परा तक करने का हकदार है। जिसमें किसी को किसी भी प्रकार का आपत्ति नहीं है यदि भविष्य में मेरे वारस उत्तराधिकारी समपुदेशी प्रतिनिधी कोई दावा आपत्ति करेंगे तो वह शून्यवत माना जावेगा।

क्रेता वदारा क्रय की भूमि का कोई अंश किसी भी त्रुटि से छु जाता है तो क्रेता को यह अधिकार है कि वह हज्जना राशी कार्यवाही करने का हकदार है। कृषि योग्य भूमि कृषि प्रयोजन हेतु की गई है।

सही विक्रेता

सही क्रेता

११४१

28/11/2020

Rohit

1A
650 रसीद दस्तावेज वगैरह

50



क्र.सं.	विवरण	तादा फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदा के छोटे दस्ताखत
1	दस्तावेज की तफसील, तारीख व कीमत या दस्ताखत की तारीख या किस्म जो मुहरबंद लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इन्वारत	578-	



तारीख 21/3/07

उप-
पानसेमल

A 423958

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

४४४४

लिहजा यह बिक्री पत्र मेने होशो हवास मे बिना किसी भी दबाव के लिखाया हे, जो कहाँ वही लिखा पाया तब ही समझ कर गवाहो के समक्ष हस्ताक्षर किये जो की वक्त जरूरत के काम आवे। इति

गवाह- दिनांक 31/03/2007

1- Anand
 अविनाश पिता दादाभाई
 राजपुत नि. जलमोन

सही विक्रेता रमेश चन्द्र
 रमेशचन्द्र पिता बालु सा वाणी
 नि. निवाली
 सही क्रेता Rishouhraj
 रविन्द्र पिता मोतीराम चौधरी पानेधमल

2- Manoher
 मनोहर मोतीराम चौधरी
 पानसेमल म. प्र. ।



४४ ४४

सलग्न पुरवणी स्टाम्प हे -

विक्रेता - रमेशचन्द्र पिता बालु सा वाषी निवासी निवाली

क्रेता - रविन्द्र पिता मोतीराम चौधरी निवासी पानसेमल

दिनांक 31/3/2007

सही विक्रेता रमेशचन्द्रवाषी

सही क्रेता R. Chaudhary

न्यायालय, कलेक्टर, जिला-बड़वानी (म०प्र०)



राजस्व प्र.क्र.23/अ-21/06-07

रमेश चन्द्र पिता श्री बालु सा वाणी
निवासी निवाली तहसील निवाली जिला बड़वानी..... प्रार्थी विक्रेता
विरुद्ध

रविन्द्र पिता मोतीराम चौधरी,
निवासी पानसेमल तहसील पानसेमल जिला बड़वानी क्रेता

:: आदेश ::
(पारित दिनांक 15.05.2007)

प्रार्थी विक्रेता रमेश चन्द्र पिता श्री बालु सा वाणी निवासी निवाली के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है, जिसमें उसके नाम से ग्राम बालझीरी प.ह.नं.11 में स्थित भूमि सर्वे नंबर 93/2 रकबा 0.849 हेक्टर भूमि जो कि औद्योगिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित होकर म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-165 (6) के तहत क्रेता रविन्द्र पिता मोतीराम चौधरी निवासी पानसेमल को विक्रय करने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया है ।

2- प्रकरण में बिंदुवार जांच प्रतिवेदन हेतु तहसीलदार पानसेमल को भेजा गया, उनके द्वारा प्रकरण में विज्ञप्ति का विधिवत प्रकाशन करवाते हुए, बिंदुवार जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व संधवा के माध्यम से अनुशंसा सह प्रेषित किया गया । तहसीलदार पानसेमल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) संधवा द्वारा प्रतिवेदित किया है कि :-

1. प्रस्तावित भूमि का ले आउट उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश खण्डवा के अनापत्ति प्रमाण-पत्र क्रमांक 470/डाय/नग्रानि/07/360/दिनांक 06.03.07 द्वारा अनुमोदित है, जिसकी प्रति प्रकरण में संलग्न है ।
2. प्रस्तावित भूमि के विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग व्यापार को बढ़ाने हेतु करना बताया है ।
3. प्रश्नाधीन भूमि के डायवर्सन आदेश के प्रकरण क्रमांक 41/अ-2/06-07 पारित आदेश दिनांक 08.03.07 से उक्त भूमि सर्वे नंबर 93/2 रकबा 0.849 हेक्टर भूमि का औद्योगिक प्रयोजन में व्यपवर्तन अनुज्ञा आदेश जारी किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि प्रकरण में संलग्न है ।
4. उक्त संव्यवहार से वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होना बताया है ।
5. प्रस्तावित भूमि के खाता एवं खसरा नकल, चालू वर्ष की एवं 02.10.1959 की प्रकरण में संलग्न करते हुये प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि को विक्रय किये जाने में संहिता की धारा 165 (ड.ड.) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होना प्रतिवेदित किया है ।
6. भूमि के संबंध में निर्धारित व्यपवर्तन राशि जमा करने संबंधी रसीद संलग्न करते हुये कोई राशि बकाया नहीं होना प्रतिवेदित किया है ।
7. ग्राम पंचायत का बकाया संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 05.03.07 प्रकरण में संलग्न है ।
8. प्रार्थी विक्रेता एवं क्रेता के कथन लिये जाकर प्रकरण में संलग्न है ।
9. प्रार्थी क्रेता एवं विक्रेता एवं क्रेता के मध्य किसी प्रकार का कोई लेनदेन नहीं होकर साहुकारा नहीं होना प्रतिवेदित है ।



10. प्रार्थी विक्रेता किसी दबाव के कारण भूमि विक्रय नहीं कर रहे हैं, प्रतिवेदित है ।
11. भूमि अन्तरण के पश्चात् उद्योग प्रयोजन हेतु उपयोग में लेना प्रतिवेदित किया है ।
12. विक्रय की जाने वाली भूमि के संबंध में कोई प्रकरण किसी राजस्व/दीवानी मामले में लंबित नहीं होना प्रतिवेदित है ।
13. भूमि किसी प्रकार से अंतरितशुदा/गिरवी नहीं होना प्रतिवेदित है ।
14. तहसीलदार द्वारा आवेदित भूमि का स्थल निरीक्षण करते हुये प्रतिवेदित किया है कि मौके पर भूमि रिक्त होकर प्रार्थी का कब्जा है ।
15. बिक्री मूल्य के संबंध में उप पंजीयक पानसेमल से प्रचलित गाईड लाईन अनुसार प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । तदनुसार स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क अदा करने की शर्त पर विक्रय किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रतिवेदित किया है ।
16. क्रेता अधिसूचित क्षेत्र का निवासी है ।
17. उक्त अंतरण के संबंध में अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होना प्रतिवेदित है ।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेंधवा के द्वारा उपरोक्तानुसार बिंदुवार जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रतिवेदित किया है कि आवेदक रमेश चन्द्र पिता श्री बालु सा वाणी निवासी निवाली को ग्राम बालझीरी प.ह.नं.11 में स्थित भूमि सर्वे नंबर 93/2 रकबा 0.849 हेक्टर भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होकर अनुशंसा सह प्रकरण प्रस्तुत किया है ।

प्रकरण में ग्राम बालझीरी, टाकली फल्या तहसील पानसेमल के ग्राम वासियों द्वारा इस आशय का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया कि आवेदित भूमि पर रासायनिक खाद निर्माण हेतु इण्डस्ट्रीज निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आस-पास की उपजाऊ भूमि एवं ग्रामवासियों के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ेगा । अतः इस संबंध में उचित कार्यवाही की जायें ।

ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी सेंधवा से वस्तु स्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । प्रकरण में प्रस्तुत ज्ञापन के संबंध में संबंधित आपत्तिकर्ताओं की सुनवाई करते हुए उनके कथन अंकित किये गये हैं और आपत्तिकर्ताओं की सुनवाई एवं कथनों के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी सेंधवा द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि पर फैंक्ट्री निर्माण से क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और कृषि भूमि आदि को किसी प्रकार का कोई नुकसान आदि नहीं पहुँचेगा । इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग स्थापना हेतु जारी अनुमति पत्र क्रमांक 2987 दिनांक 04.05.2007 संलग्न करते हुए प्रस्तुत आपत्ति निरस्त करने की अनुशंसा कर आवेदित भूमि सर्वे नं. 93/2 रकबा 0.849 हेक्टर भूमि को संहिता की धारा 165(6) के तहत विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा की गई है । अतः प्रकरण में प्रस्तुत आपत्ति उपरोक्त आधार पर निरस्त की जाती है ।

अतः प्रकरण में संलग्न रेकार्ड व तहसीलदार पानसेमल एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सेंधवा की अनुशंसा के आधार पर ग्राम बालझीरी प.ह.नं.11 में स्थित भूमि सर्वे नंबर 93/2 रकबा 0.849 हेक्टर भूमि को प्रचलित गाईड लाईन अनुसार स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क अदा करने की शर्त पर क्रेता रविन्द्र पिता मोतीराम

निवासी पानसेमल को म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के प्रावधानों के अनुरूप सशर्त विक्रय की अनुमति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-

- यह अनुमति सीमित रूप से केवल म.प्र.भू-राजस्व संहिता की धारा 165(6) के प्रावधानों के अन्तर्गत दी जा रही है। यह आदेश स्वत्व सम्बन्धी किसी विवाद या प्रश्न के लिये निर्णायक नहीं माना जायेगा।
- व्यपवर्तन प्रकरण क्रमांक 41/अ-2/06-07 पारित आदेश दिनांक 08.03.07 में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
- भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित की गई है।
- ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जावे, जिससे सार्वजनिक बाधा उत्पन्न हो एवं क्षेत्र के रहवासियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े।
- समय-समय पर नियमों में आवश्यक परिवर्तन होने पर तत्समय प्रचलित नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण आदि करने के पूर्व नगर पालिका से अनुमति प्राप्त करना होगी तथा नगर एवं ग्राम निवेश खण्डवा के अनापत्ति प्रमाण पत्र 360-डाय/नग्रानि/07/358 दिनांक 06.03.07 में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा।
- भूमि किसी भी प्रकार से हस्तांतरण एवं विक्रय से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन्दौर द्वारा जारी अनुमति क्रमांक 2987/दिनांक 04.05.07 अनुसार एवं उसमें उल्लेखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर अथवा किसी प्रकार को विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में यह अनुमति बिना पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकेगी।

हस्ताक्षर
(अरुण तिवारी)
कलेक्टर,

जिला-बड़वानी, म.प्र.
बड़वानी, दिनांक 17-05-2007



क्रमांक/880/रीडर/2007
प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेंधवा।
2. तहसीलदार, पानसेमल।
3. उप पंजीयक पानसेमल।
4. संबंधित विक्रेता रमेश चन्द्र पिता श्री बालु सा वाणी निवासी निवाली पालनार्थ
5. संबंधित क्रेता रविन्द्र पिता मोतीराम चौधरी निवासी पानसेमल की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर,
जिला-बड़वानी, म.प्र.

324
18-5-07

267
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेंधवा, जिला बड़वानी म.प्र.

राजस्व प्रकरण क्रमांक 28 / अ-2 / 2007-08

रविन्द्र पिता मोतीलाल चौधरी,
निवासी पानसेमल, तहसील सेंधवा

आवेदक

-विरुद्ध-

मध्यप्रदेश शासन

अनावेदक

-: आ दे श :

(दिनांक 12/03/2008 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि -आवेदक रविन्द्र पिता मोतीलाल चौधरी, निवासी पानसेमल तहसील पानसेमल द्वारा अपने स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम बालझिरी तहसील पानसेमल के सर्वे नम्बर 92/1 रकबा 0.90 एकड़ का औद्योगिक प्रयोजन में व्यपवर्तन की अनुज्ञा मिलने बाबद मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. प्रकरण संहिता की धारा 172 के प्रावधानों के अंतर्गत जाँच प्रतिवेदन हेतु अधीक्षक, भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि बड़वानी की ओर भेजा गया। अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि बड़वानी द्वारा अपने अधीनस्थ भू-मापक, परिवर्तित भूमि से प्रश्नाधीन भूमि का स्थल निरीक्षण कराया जाकर निरीक्षण टीप दिनांक 18.02.2008 प्रकरण में शामिल करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि-आवेदक रविन्द्र पिता मोतीलाल चौधरी, निवासी पानसेमल तहसील पानसेमल के स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम बालझिरी तहसील पानसेमल के सर्वे नम्बर 92/1 रकबा 0.90 एकड़ का औद्योगिक प्रयोजन में व्यपवर्तन अनुज्ञा हेतु आवेदक का प्रकरण म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अंतर्गत आता है। अतः आवेदक की प्रश्नाधीन भूमि पर स्वीकृत मानक दर रुपये 4.00 प्रति 100 वर्गफीट पर प्रतिवेदक क्षेत्रफल 39,204 वर्गफीट पर संहिता की धारा 59 (2) के अंतर्गत पुनर्निर्धारण रुपये 1568/- प्रति वर्ष भू-भाटक पुनर्निर्धारण किया जाने व संहिता की धारा 59 (5) के तहत रुपये 1.50 प्रति वर्गमीटर की दर से क्षेत्रफल 3650 वर्गमीटर पर रुपये 5,475/- प्रिमियम (प्रब्याजी) निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

-1-

3. प्रकरण मे अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा पथ) सेंधवा एवं ग्राम पंचायत बालझिरी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए है, जो प्रकरण मे शामिल है। उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश खण्डवा को इस कार्यालय के पत्र से अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है किन्तु आज दिनांक तक कोई अभिमत प्राप्त नहीं हुआ है, इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि के व्यपवर्तन अनुज्ञा की जाने में नगर तथा ग्राम निवेश खण्डवा का कोई आपत्ति नहीं है।

4. प्रश्नाधीन भूमि के मौके पर गढे खोदकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। अतः इस प्रकरण मे म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(4) के प्रावधान लागू होंगे।

5. अतः प्रकरण में संलग्न दस्तावेज एवं अधीक्षक, भू- अभिलेख परिवर्तित भूमि बड़वानी के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक रविन्द्र पिता मोतीलाल चौधरी, निवासी पानसेमल, तहसील पानसेमल के स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम बालझिरी तहसील पानसेमल की सर्वे क्रमांक 92/1 रकबा 0.90 एकड़ अर्थात् 39204 वर्गफीट का म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत औद्योगिक प्रयोजन में व्यपवर्तन अनुज्ञा निम्नांकित पुनर्निर्धारण एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-
पुनर्निर्धारण:-

1. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59(2) के अंतर्गत आवेदक रविन्द्र पिता मोतीलाल चौधरी, निवासी पानसेमल, 92/1 रकबा 0.90 एकड़ के स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम बालझिरी तहसील पानसेमल के सर्वे नम्बर 92/1 रकबा 0.90 एकड़ का औद्योगिक प्रयोजन, अर्थात्, वर्गफीट पर स्वीकृत मानक दर रूपये 4.00 प्रति 100 वर्गफीट के मान से पुनर्निर्धारण रूपये 1568/- प्रतिवर्ष भू-भाटक प्रतिवर्ष निर्धारण किया जाता है। जो वर्ष 2007-08 से देय होगी।

2. अधीक्षक, परिवर्तित भूमि बड़वानी के प्रतिवेदन अनुसार म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59(5) के तहत रूपये 1.50 प्रति वर्गमीटर की दर से क्षेत्रफल 3,650 वर्गमीटर पर रूपये 5,475/- प्रिमियम (प्रब्याजी) निर्धारण की जाती है।

3. आवेदकगण द्वारा बिना अनुमति के निर्माण किए गए संरचनात्मक कार्य म.प्र. राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(4) के तहत रुपये 500/- अधिरोपित किया जाता है।

4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 185(6-3-3) का उल्लंघन होने से संहिता की धारा 172(6-क) के तहत शास्ति रुपये 1000/- अधिरोपित की जाती है।

5. कृषि लगान रुपये 1.02 कम किया जाता है।

उपरोक्तानुसार आवेदक चालु वर्ष 2007-08 का परिवर्तित लगान रुपये 1,588/- एवं प्रिमीयम रुपये 5,475/- एवं अर्थदण्ड रुपये 500/- शास्ति रुपये 1000/- इस प्रकार कुल रुपये 8,543/- एकमुश्त जमा करावें।

शर्तें:-

1. प्रश्नाधीन भूमि पर विकास एवं निर्माण की अनुमति सक्षम अधिकारी से लेना होगी।
2. भूमि हस्तान्तरण (विक्रय), कलेक्टर की अनुमति के बगैर नहीं किया जायेगा।
3. समय-समय पर नियमों में परिवर्तन होने पर प्रचलित नियमों का पालन करना होगा। एवं प्रख्याजी एवं पुनर्निर्धारण में बाधनी होती है तो उसे जमा करना होगा।
4. जिस प्रयोजन के लिये व्यपवर्तन की अनुज्ञा दी गयी है, उसी प्रयोजन में भूमि का उपयोग करना होगा।
5. कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे कि सार्वजनिक बाधा उत्पन्न हो।
6. यह अनुमति मात्र भूमि व्यपवर्तन की है इसे निर्माण की अनुमति नहीं माना जावे।
7. भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर या गलत जानकारी पाई जाने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

A

Behar Singh

8. उपरोक्त वर्णित शर्तें या किसी एक शर्त या शर्तों का उल्लंघन होने पर यह आदेश बिना पुर्ण सूचना के निरस्त किया जा सकेगा।

(विष्णु कमलकर),
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्थान)
संघवा, जिला बड़वानी, म.प्र.

क्रमांक / 1012 / सीडर-1 / 2008

संघवा 12 / 03 / 2008


प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार पानसेमल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- ✓ 2. आवेदक रविन्द्र पिता मोतीलाल चौधरी, निवासी पानसेमल, की ओर पालनार्थ प्रेषित।

(विष्णु कमलकर)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्थान)
संघवा, जिला बड़वानी, म.प्र.

R. Choudhary

1100
21



1100
212
212

1100
212

1100
212
212

To,